निग/2992/2015

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश

ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

1– कैलाश

2– कल्यांणसिंह

3– पंजाबसिंह

4– रामेंश्वर पुत्रगण अमरसिंह

निवासीगण– ग्राम बड़गवॉ , तहसील नरवर जिला

शिवपुरी (म.प्र.) ——— निगरानीकर्तागण

बनाम

1– कस्तूरी वेवा स्वं. ग्यासीराम रावत

2– हरीशचंद

3– कल्लो

4– गुडडी

5– ऊषा

पुत्र/पुत्रीगण स्वं. ग्यासीराम रावत

6– लखनसिंह

7– दौलतसिंह

पुत्रगण हरनामसिंह

8– हरकुँवर

9– जशोदा

10– रामश्री पुत्रीगण थानू रावत

11– अशोकसिंह

12– करतार सिंह

13– जितेन्द्र सिंह

14– संजय सिंह पुत्रगण संतोक सिंह

15– गुलावसिंह

16– सरनामसिंह

17– जसरथसिंह पुत्रगण रघुवीरसिंह

18– लक्षमण सिंह पुत्र हेतराज सिंह

19– बादामसिंह पुत्र खॉनचंद

20– स्वरूपसिंह

21– इंदरसिंह

22– रणवीरसिंह पुत्रगण बादामसिंह

23– कप्तानसिह

24– लायकराम पुत्रगण चऊराम

25– बलरामसिंह

26– सालिगराम पुत्रगण छत्तूराम बघेल

निवासीगण– ग्राम बहगवॉ , तहसील नरवर

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

———— प्रतिनिगरानीकर्तागण

<u>निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के क्रमांक 412/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत ।</u>

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क. 672, 689, 848, 989, 994, 996, 1028, 11 1112, 1499, एवं 1500, 1504, 1549, 1558, 1580 कुल किता 14 कुल र 28 वीधा 16 विस्वा जो ग्राम बंहगवां, तहसील नरवर जिला शिवपुरी में स्थि जिसके 1/2 भाग की भूमि स्वामी एवं अधिपत्यधारी स्वगीय महिला राजा पत्नी थानू रावत थीं । महिला राजाबेटी के कोई पुत्र संतान नहीं थी इस महिला राजाबेटी द्वारा ~~दिनांक~~ अमरसिंह पुत्र भागीरथ के हित में दिनांक 2 73 को समक्ष गवाहन एक वसीयतनामा संपादित किया था। वसीयतकत आधार पर तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदनपत्र पेश किया गया । तहसील न्यायालय नरवर द्वारा प्र.क.35/12–13/अ–6 पर दर्ज किया बिना किसी आधार के आदेश दिनांक 05.09.13 से निरस्त कर दिया ग तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 05.09.13 के विरूध अनुविभागीय अ महोदय के समक्ष अपील पेश की जिसका प्र.क. 126/12–13 अपील दिनांक 22.07.14 से स्वीकार कर ली गई । उक्त आदेश दिनांक 22.07. विरूद्व अनावेदकगण क.1 लगायत 5 द्वारा द्वितीय अपील अधीनस्थ न्याया समक्ष पेश की गई जिसमें प्रकरण विचारण के दौरान अनावेदक क. 11 26 के द्वारा एक आवेदन पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं सहपठित धारा 151 सी. का आवेदन पेश किया गया जिसका आवेदंकगण द्वारा विधिवत जवाब

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी–2992–तीन/15 **जिला** – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03.01.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत स्वीकार कर विवादित भूमि के क्रेता/इन्टरवीनर को अनावेदक के रूप में संयोजित किए जाने के आदेश दिए है। उनके इस आदेश में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में गुण–दोष पर होना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। 3/ इस प्रकरण में बिना पीठासीन अधिकारी के आदेश के अभिलेख बुलाए जाने के कारण आयुक्त को पत्र लिखा जाकर इस न्यायालय के मांगपत्र की प्रतिलिपि बुलाई गई थी, जो अप्राप्त है। अतः पुनः सचिव के माध्यम से आयुक्त को पत्र लिखा जाए। उक्त कार्यवाही हेतु पृथक से आदेश पत्रिका की प्रति सचिव को भेजी जाए। प्रशासकीय सदस्य	